(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 19/2021- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसंबर, 2021

सा.का.नि. ..... (अ)- एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, (2017का (13 की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 667 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, -

(i) क्रम संख्या 22 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0309” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 43ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “सब्ज़ियां जो वैकल्पिक रूप से संरक्षित राखी गयी हो, लेकिन जिनका उसी अवस्था में तत्काल उपयोग नहीं किया जा सकता है” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 49 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "अन्य नट्स, ताज़ा, जैसे बादाम, हेज़लनट्स या फ़िलबर्ट्स (कोरिलस एसपीपी.), अखरोट, चेस्टनट (कास्टेनिया एसपीपी.), पिस्ता, मैकाडामिया नट्स, कोला नट्स (कोला एसपीपी.), अरीका नट्स, पाइन नट्स, ताज़ा, चाहे कवच रहित या छिलका रहित हों या नहीं”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 97 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत :स्थापित किया जाएगा, यथा- :

"97क	2009 89 90	टेंडर नारियल जल, यूनिट कंटेनर में रखे गए से भिन्न और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम ना हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम ना हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में करवाई योग्य दवा किया जा सकता हो या उसपर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गयी शर्तों के आधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहाँ के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी करवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]”;

(v) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 141 के समक्ष, कॉलम (2) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “8807” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से लागू होगी।

[फाइल संख्या /354281/2021टीआरयू-]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : मुख्य अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 667 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 9/2021- एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 सितंबर, 2021 सा.का.नि. 699(अ), दिनांक 30 सितंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित, के द्वारा संशोधन किया गया था।